

श्री 25/12

पत्रावली वकील वाडी की ओर से प्राथमिक पत्र मिलने के बाद केस का वाद पत्र खारिज किये जाने का प्राथमिक पत्र पत्र को प्राप्त हुआ। प्राथमिक पत्र पर वकील वाडी ने विवेक किया कि इस प्रकार के मध्य राजीनामा होना ही अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते ही हमारा प्रयोग खारिज किया जाये। प्राथमिक पत्र व पत्रावली पर अवलोकन किया गया। वकील वाडी के विवेक पर वाडी का वाद पत्र विद्वान की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है वकील वाडी के इन्स्ट्रुक्शंस पर हाताक्ष करवामे गये। पत्रावली फॉर्मल रूप से हमारे कार्यालय को भेजा गया है।

R. K. Singh
12/12/24

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

